मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेन्सी क्षेत्र – इन्दौर

क्रमांक 10297/48/2024/चयन इन्दौर दिनांक 28 OCT 2024

//विज्ञप्ति//

राज्य सेवा परीक्षा–2022 के पद हेतु आयोग को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए जाने से एवं निर्धारित तिथि के पश्चात अभिलेख प्राप्त होने से साक्षात्कार की उम्मीद्वारी निरस्त किए गए आवेदकों हेतु आवश्यक सूचना ।

आयोग द्वारा विज्ञापन क्र. 11/2022 दिनांक 30.12.2022 एवं शुद्धिपत्रादि के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभाग हेतु राज्य सेवा परीक्षा–2022 के कुल 457 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है । राज्य सेवा परीक्षा–2022 की मुख्य परीक्षा का परिणाम दिनांक 07.06.2024 को घोषित किया गया है, लिखित परीक्षा में प्रावधिक अर्ह आवेदकों की कुल संख्या–1599 (मुख्य भाग – 1286 एवं प्रावधिक भाग – 313) है । लिखित परीक्षा में प्रावधिक अर्ह आवेदकों को निर्देशित किया गया था कि ऑनलाइन आवेदन के साथ समस्त वांछित अभिलेख दिनांक **01.07.2024** तक प्रस्तुत करना अनिवार्य थे ।

2/ आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति कमांक 9623/48/2024/चयन, दिनांक 14.10.2024 द्वारा आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जाने से कुल–27 (मुख्य भाग – 20 एवं प्रावधिक भाग – 07) एवं आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के पश्चात कुल–21 (मुख्य भाग – 14 एवं प्रावधिक भाग – 07) आवेदकों के अभिलेख प्राप्त होने से उम्मीद्वारी निरस्त की गई हैं । उम्मीद्वारी निरस्त किए गए आवेदकों को निर्देशित किया गया था कि यदि उम्मीद्वारी निरस्ती के संबंध में आपत्ति अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाना है तो विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 10 दिवस की अवधि में आपत्ति अभ्यावेदन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं ।

3/ राज्य सेवा परीक्षा–2022 हेतु उम्मीद्वारी निरस्त किए गए आवेदको से प्राप्त आपत्ति अभ्यावेदनों पर आयोग द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि जिन आवेदकों द्वारा आयोग को पूर्व में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे एवं जिन आवेदकों के अभिलेख आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त हुए हैं, ऐसे आवेदकों से विलम्ब शुल्क के साथ आयोग कार्यालय में अभिलेख जमा करने पर साक्षात्कार की उम्मीद्वारी मान्य की जाए । आवेदक विलम्ब शुल्क की नगद राशि एम.पी.टी.सी. 6 के माध्यम से आयोग की लेखा शाखा में जमा करने के पश्चात अभिलेख जमा किए जा सकेंगे :–

01.	विलम्ब शुल्क राशि रूपए 3000/– सहित	दिनांक 04.11.2024 से 08.11.2024 तक
02.	विलम्ब शुल्क राशि रूपए 25000/– सहित	दिनांक 11.11.2024 से 18.11.2024 तक

4/ राज्य सेवा परीक्षा–2022 पद हेतु उम्मीद्वारी निरस्त किए गए ऐसे आवेदक जिनके अभिलेख आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त हुए हैं, ऐसे आवेदको की, विलम्ब शुल्क की राशि जमा करने पर, उम्मीदवारी मान्य की जाएगी । जिन आवेदकों द्वारा अभिलेख आयोग को पूर्व में प्रस्तुत नहीं किए गए थे ऐसे आवेदक आयोग कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर विलम्ब शुल्क जमा कर समस्त वांछित अभिलेख (लिखित परीक्षा में उल्लेखित प्रपत्र अनुसार) आयोग कार्यालय में जमा करने पर ही उम्मीदवारी मान्य किए जाने पर विचार किया जाएगा ।

अपर परीक्षा नियंत्रक